Result Mitra Daily Magazine

PM SHRI YOJNA

हालिया सन्दर्भ :-

- केन्द्र ने तीन गैर-भाजपा शासित राज्यों में स्कूली शिक्षा के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम की फंडिंग रोक दी है।
- इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, पंजाब एवं दिल्ली (केन्द्र शासित प्रदेश) शामिल है, जिन्होंने PM-SHRI योजना को लागू करने से इंकार कर दिया है।

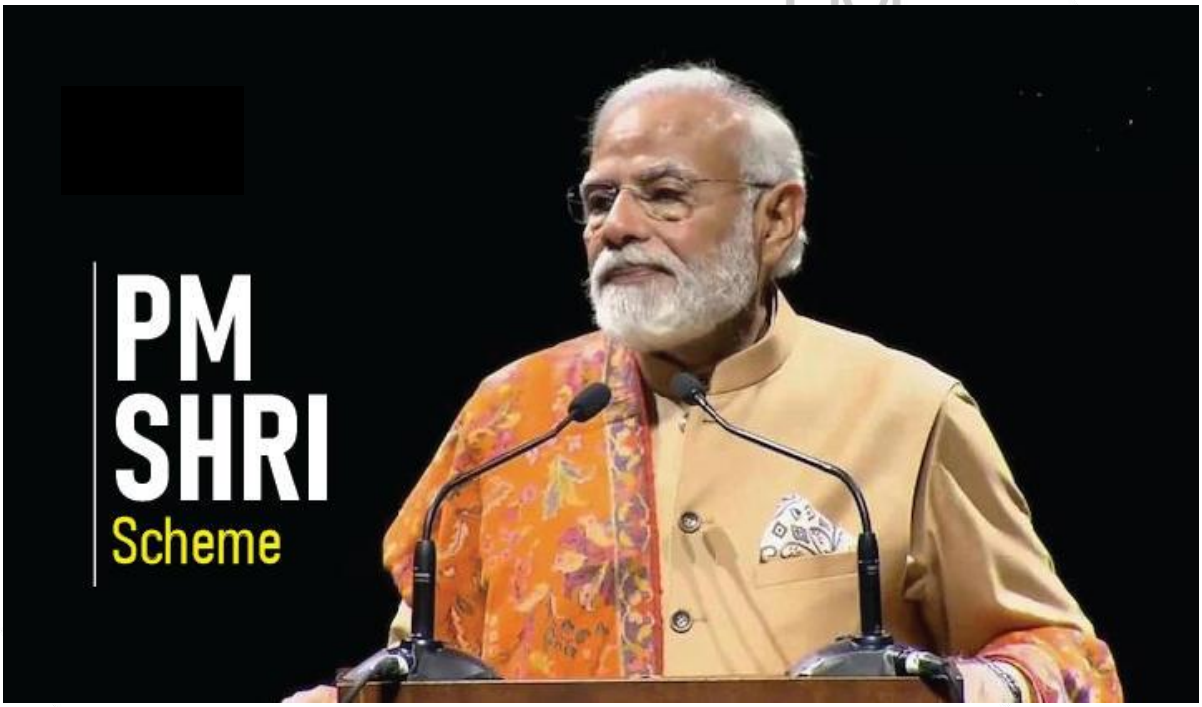

- समग्र शिक्षा योजना, जिसके लिए तीनों राज्यों की फंडिंग रोक दी गई है, बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 यानि RTE अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन का समर्थन करती है।
- फंडिंग रोके जाने का कारण :-
- केन्द्र सरकार द्वारा 2023-24 की तीसरी एवं चौथी तिमाही तथा 2024-25 की पहली तिमाही के लिए समग्र शिक्षा निधि के तहत पंजाब, पश्चिम बंगाल एवं दिल्ली को क्रमशः 515 करोड रूपये, 1000 करोड रूपये एवं 330 करोड रूपये जारी नहीं किए गए है।
- वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक कोई भी राज्य बिना PM-SHRI (PM School for rising India) को लागू किए समग्र शिक्षा निधि प्राप्त नहीं कर सकता।

PM-SHRI

- 2022 में योजना को स्वीकृति।

- नई शिक्षा नीति (2020) को प्रदर्शित करने के लिए देश भर में 14,500 से ज्यादा स्कूलों का उन्नयन एवं विकास करना उद्देश्य,
- पहाडी एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनुपात 90:10
- इस योजना में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र शासित सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों को लाभ प्राप्त हो सकता है।
- बेहतर पारितंत्र स्थापित कर अन्य स्कूलों के लिए उदाहरण स्थापित करना भी उद्देश्य,
- प्राथमिक, माध्यमिक एवं सीनियर सेकेण्डरी स्कूल लाभार्थी होने योग्य।

आंकडे :-

- PM-SHRI के अंतर्गत कुल 10,077 स्कूल सूचीबद्ध,
- 839 स्कूल केन्द्रीय विद्यालय की श्रेणी के तथा 599 नवोदय विद्यालय की श्रेणी के,
- अन्य सभी 8,639 स्कूल राज्य सरकार का स्थानीय सरकारों द्वारा संचालित,
- सर्वाधिक स्कूलों का चयन उत्तर प्रदेश (1865) से,
- महाराष्ट्र (910) और आंध्रप्रदेश (900) PM-SHRI स्कूलों के साथ दूसरे एवं तीसरे स्थान पर,
- पंजाब, ओडिशा, दिल्ली, तमिलनाडू, केरल एवं पश्चिम बंगाल तथा बिहार से किसी भी स्कूल का चयन PM-SHRI योजना के लिए नहीं किया गया है।

वित्त योजना :-

- 2022 में शुरू किए गए योजना के लिए 2026-27 तक के 5 वर्षों के लिए 27,360 करोड रूपए का वित्तपोषण,
- केन्द्र का हिस्सा 18,128 करोड रूपये तथा राज्यों का हिस्सा 9232 करोड रूपये,
- 2023-24 के बजट में PM-SHRI योजना के लिए 6207 स्कूलों के लिए कुल 3395.16 करोड रूपये की मंजूरी दी गई थी, जिसमें केन्द्र एवं राज्य का हिस्सा क्रमशः 2520.46 करोड रूपये एवं 874.70 करोड रूपये था।
- 5 वर्ष के योजना अवधि के बाद भी PM-SHRI के अंतर्गत शामिल स्कूलों द्वारा प्राप्त किए गए बेंचमार्क को बनाए रखना संबंधित राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के सरकार का दायित्व होगा।

स्कूलों का चयन :-

- PM-SHRI स्कूलों का चयन, चैलेंज मोड के माध्यम से किया जाता है।

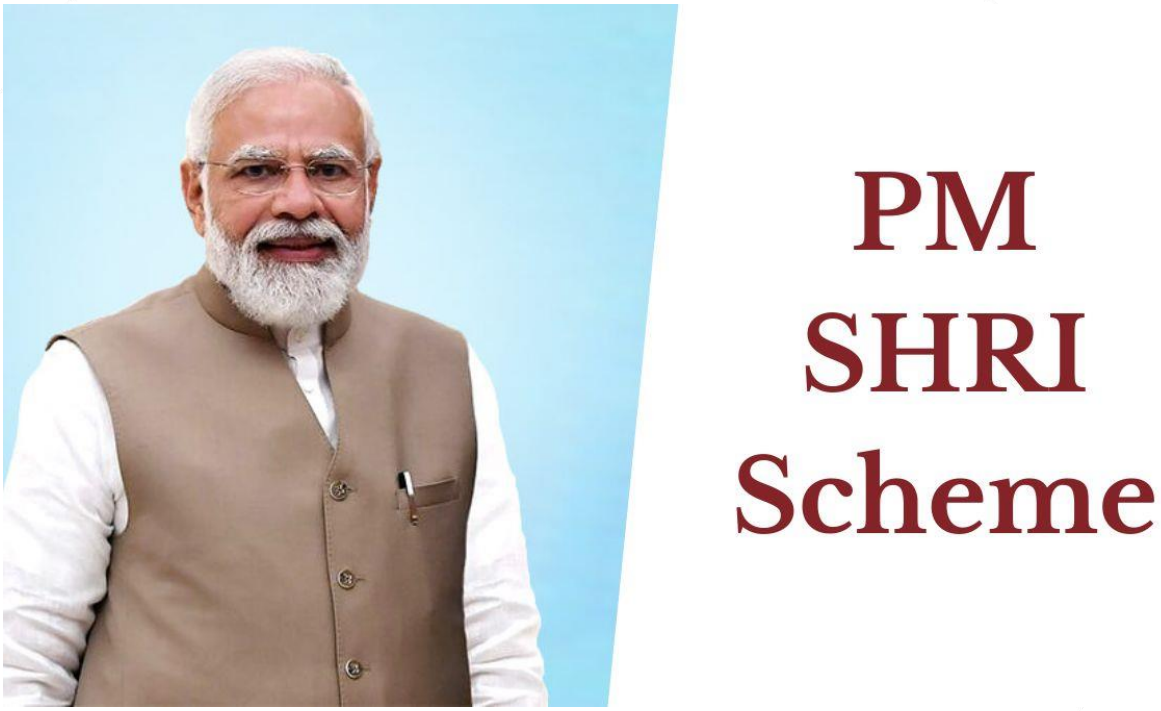

- चयनित होने के लिए स्कूलों को कुछ न्यूनतम मानदण्डों को पूरा करना होता है।
- इन मानदंडों में अच्छी स्थिति में एक पक्की स्कूली इमारत/भवन, बाधा मुक्त रैंप (दिव्यांगों के लिए), लडके एवं लडकियों के लिए कम-से-कम 2-4 अलग-अलग शौचालय होना शामिल है।
- मानदंडों को पूरा करने वाले स्कूल आवेदन (ऑनलाइन) कर सकते हैं।
- इसके अलावा स्कूलों का मूल्यांकन बुनियादी ढाँचा, शिक्षण स्टॉफ की संख्या एवं लर्निंग रिजल्ट आदि के आधार पर किया जाता है।
- योजना के अंतर्गत चयनित होने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल को न्यूनतम 60 % , जबकि शहरी क्षेत्र के स्कूलों को न्यूनतम 70 % अंक प्राप्त करना आवश्यक होता है।
- अनुशंसित स्कूलों की सूची शिक्षा मंत्रालय को राज्यों द्वारा भेजी जाती है।

समझौता :-

- राज्य, केन्द्र शासित प्रदेश या केन्द्रीय विद्यालय संगठन या नवोदय विद्यालय समिति को शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना होता है, जिसमें 2 प्रावधान होते है :-
- पूरे राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में NEP, 2020 के प्रावधानों को संपूर्णता से लागू करने की प्रतिबद्धता एवं
- चयनित स्कूलों के नाम के आगे PM-SHRI जोडना।
- राज्य/केन्द्र शासित सरकार को चयनित स्कूलों में योजना के कार्यान्वयन के 2 वर्ष के भीतर यह सुनिश्चित करना होता है कि ड्रॉप आउट दर (बच्चों के समय-पूर्व स्कूल छोडने की दर) शून्य हो।
- इसके अलावा उचित छात्र-शिक्षक अनुपात तथा गतिविधि आधारित, खेल आधारित, कला आधारित व्यवस्था जैसे अभिनव शिक्षण-लक्षण को लागू करना भी उनका दायित्व होगा।

समग्र शिक्षा :-

- 2018-19 में प्रस्तावित।
- प्री-नर्सरी से 12वीं तक विभाजन के बिना स्कूली शिक्षा को समग्र रूप देने का प्रस्ताव।
- इस योजना में पूर्ववर्ती सर्व शिक्षा अभियान (SSA) , राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और शिक्षक शिक्षा को शामिल कर दिया गया।
- इस योजना के तहत केन्द्र एवं राज्यों के बीच वित्त पोषण का अनुपात 60:40 है।
- पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्य एवं हिमालयी राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 है।

तनाव के कारण :-

- दिल्ली और पंजाब सरकारों ने PM-SHRI योजना को लागू करने से मना कर दिया क्योंकि दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं, जो "स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस" और "स्कूल ऑफ एमिनेंस" नामक योजनाएं चला रही है।

- पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूलों के नाम के आगे PM-SHRI लगाए जाने पर आपत्ति जताई, खासकर तब जब लागत में राज्य सरकार 40% वहन करती है।
- शुरूआत में मना किए जाने के बाद केरल, बिहार, तमिलनाडू एवं ओडिशा ने इस वर्ष मार्च में PM-SHRI योजना में भाग लेने की सहमति जताई।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम :-

- 86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2 दिसम्बर 2002 को शिक्षा को संविधान के अनुच्छेद-21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया।

- अधिनियम के तहत 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा मूल अधिकार है।
- **नोट :-** 6-14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित करना 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकों का मूल कर्तव्य भी है।
- इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) पारित किया गया, जो 6-14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है।
- **नोट :-** इस अधिनियम (RTE) के तहत 25% सीटें गरीब बच्चे के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है।

केन्द्रीय विद्यालय (KV) :

- 1963 में शुरूआत,
- केन्द्र सरकार की कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित,

- CBSE यानि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अनुबंधित,
- मॉस्को, तेहरान एवं काठमांडू में भी 1-1 केन्द्रीय विद्यालय,
- कुल 1256 KV में 13.37 लाख छात्र।

नवोदय विद्यालय :-

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 1986 के तहत स्थापित,
- ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों के बेहतर पढाई की व्यवस्था करना उद्देश्य,
- वर्ग 6-12 तक की पढाई की व्यवस्था,
- ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए 75% एवं SC/ST के लिए आबादी के आधार पर (राष्ट्रीय औसत से कम नहीं) सीटों का आरक्षण।
- 33 % सीटें बालिकाओं एवं 3% सीटें दिव्यांगों के लिए आरक्षित।

Result Mitra